FORM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ..... मुकाम .....

नन्दाराम बनाम चौधरी

मुकदमा राजस्व वाद नं. 639 सन् 2010

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.20 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 11/2/21 को प्रस्तुत हो।	
पत्रावली पेश हुई। वकील अपत्र प्रशासन अपनी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी किसी पक्षकारान ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। इसप्रकार देने प्रशासन अपने अपने पक्ष में इस वाद को साबित करने में असफल रहे। अतः वकील वादी को पत्र उक्त वाद को साबित नहीं करने से वादी का वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली अभिलेख अनुसार वैकल्पिक वाद [illegible] रखकर दी। सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	